श्री सभापति: आप बैठ जाइए, प्रफुल्ल पटेल बोलिए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति महोदय, इस प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री जी ने दिया है कि a comprehensive will for the unorganised sector workers is proposed to be introduced in Parliament. माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि कई ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जहां प्रत्येक स्टेट अपने हिसाब से मिनिमम वेजेज़ निर्धारित करता है और इसकी वजह से एक स्टेट और दूसरे स्टेट में जो अंतर रहता है-मैं साथ लगे हुए राज्यों की भी बात कर रहा हूं कि उदाहरणत: कहीं पचास रुपए मिनिमम वेज है, कहीं साठ रुपए है- तो प्लाइट ऑफ लेबर होने से कई इंडस्ट्रीज़ उससे अफेक्ट होती हैं। यह जो कॉम्प्रिहेंसिव बिल आप लाना चाहते हैं, उसमें कम से कम लगे हुए राज्यों या पूरे देश के राज्यों के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, उनके लिए आपका कॉमन मिनिमम वेजेज़ लाने का कोई प्रस्ताव है?

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि यह राज्यों का विषय है। हम राज्यों को सलाह तो दे सकते हैं लेकिन राज्यों को इसके लिए compel नहीं कर सकते। पिछले दिनों एक बात आई थी बीड़ी वर्कर्स की, जो अलग-अलग राज्यों में काम करते हैं। उन बीड़ी वर्कर्स की कहीं वेजेज़ कम हैं तो कहीं ज्यादा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी पड़ता है और लेबर की मूवमेंट में—जैसे आपने सही कहा—उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जो बीड़ी वर्कर्स का मामला है, हमारा वेलफेयर बोर्ड उसको कंट्रोल करता है, इनको फैसिलिटीज़ देता है—मकान की फैसिलिटी देता है, दूसरी सुविधाएं देता है। इस प्रकार जिस-जिसमें हमारी दखलंदाज़ी सीधी है, उसमें तो हम कर सकते हैं लेकिन बाकी तो हम राज्यों को ही सलाह देते हैं कि उनकी मोबिलिटी ऑफ लेबर unnecessarily ...

MR. CHAIRMAN: Question No. 145.

Pension and Insurance Benefits for unorganised sector

*145. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce pension and insurance benefits for the unorganised sector;

(b) if so, the details of the sectors that would be covered by this scheme;

(c) whether the self-employed person would also be covered by this programme; and

(d) how many women workers would be covered by this programme?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (d) The Government propose to introduce a comprehensive Bill for the unorganized Sector Workers including women and self-employed workers. The Bill amongst other provisions also envisages to provide for certain social security measures including old age pension, accident and health insurance cover to the workers in the unorganised sector. The proposal is under active consideration of the Government.

MISS MABEL REBELLO: Sir, the contruction workers, handloom workers, *bidi* workers workers in the fishing industry, they are all in bad shape. They belong to the unorganised sector and most of them, almost 40 per cent of them, are women. Is the hon. Minister aware that these women workers are not only deprived of the right wages, but they also deprived of all social security benefits such as insurance, etc.? Besides, they are sexually exploited, especially in fishing and construction industries. And, these women cannot even report. If they report, they will lost their jobs. So, they have to keep quiet. I would like to know from the hon. Minister what measures he is contemplating to ensure the right wages to these people in the unorganised sector, particularly to women, and providing them social security benefits, and to help them so that they are not sexually exploited and can keep their heart and soul together.

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या की यह चिंता बिलकुल सही है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको जो मिलना चाहिए था पिछले 56 वर्षों में, असंगाठित क्षेत्र में उन काम करने वालों की चिंता कम से कम की गई। यह एक सरकार है जिसने सरकार बनने के फौरन बाद एक कमीशन appoint किया-सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन और उस कमीशन में जो टर्म ऑफ रेफरेंस थी, उसमें जो प्रमुख टर्म ऑफ रेफरेंस थी, उसमें यह कहा गया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ आज तक न्याय नहीं हुआ है इसलिए उनका किस प्रकार से न्याय दिया जाए, उसके लिए एक कानून बनना चाहिए, एक लेजिस्लेशन बनना चाहिए। एक साल पहले उसकी रिपोर्ट आई थी और उसकी रिपोर्ट आने के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कॉन्फेंस के अंदर, उसके बाद मिनिस्टर्स की मीटिंग में, सेक्रेटरीज़ की मीटिंग बुलाकर, दो दिन का नेशनल सेमिनार करके अनेकों तरह की चर्चा करके उसको कानून का रूप देने के लिए हम उसको केबिनेट में ले गए थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वह डिसकस हो गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने वह approve कर दिया। केबिनेट ने उस पर डिसीज़न लेना है। फिर पार्लियामेंट में वह आपके सामने आयेगा। मैं यह समझता हूं कि देश में जो हमारी

40 करोड़ लेबर फोर्स है, उसमें से 93 परसेंट लेबर फोर्स हमारी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। उन लोगों को न मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, न इंश्योरेंस मिलता है, न पेंशन मिलती है।

श्री सभापति: ठीक है, वह तो उन्होंने ही कह दिया है।

श्री साहिब सिंह वर्मा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को यह अवगत कराना चाहूंगा कि अब हम उनको मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे। हम उनको इंश्योरेंस कवर भी देंगे।

श्री सभापति: आप देंगे लेकिन जब कानून बनेगा तभी न!

श्री साहिब सिंह वर्मा: हम उनको पेंशन भी देंगे। ये सारी चीजें पहली बार देश में 56 साल की आजादी के बाद मिलने वाली हैं, मैं माननीय सदस्या को यह बता दूं।

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है। Sir, my second supplementary is... (*Interruptions*)...

श्री सभापति: अब तो आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छा हो गया है तो कम से कम आप शांति से बोलिए।...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: अब सही आंसर दिया है। सर, मेरा सैकेन्ड सप्लीमेंट्री है। मैं भी शांति से बोलूंगी यदि ये सही आंसर दें तो। अगर ये हमारे विरुद्ध एस्पर्शन कास्ट करेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। Sir, of the 37 crore workers in the unorganised sector—that is 93 per cent of the work force—40 per cent are women working in sectors like construction, forestry, agriculture or as maids in the domestic sector, and, most of them belong to SC or ST category. Sir, as per part (b) of my question, I had asked as to what are the details of that sectors that would be covered by this scheme, by this proposed legislation. But, he has not answered that at all. The domestic sector consisting of almost 1.5 crore work force is not included in this proposed Bill.

श्री सभापति: सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की लिमिट है मैडम।

MISS MABEL REBELLO: Sir, for the last four years, they have been saying... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You put the question.

MISS MABEL REBELLO: Sir, for the last four years, they have been saying that they will bring this legislation. I would like to know as to what is the time frame within which they will bring the legislation, and, what are the mechanisms they will have to enforce this legislation.

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए। आप जवाब में प्रूव मत कर देना क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सर, मैं समझता हूं कि हमारा प्रयास इसको जल्दी से जल्दी लाने का है लेकिन ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: जल्दी से जल्दी कब तक, टाइम बाउंड कीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: आप सुन तो लो बहिन जी। ये ठीक कह रहे थे कि आपके यहां डोमेस्टिक सर्वे कैसे रुकते होंगे? आप हमें नहीं रुकने दे रही हैं। आप पहले पूरा सुन तो लिया करो। इतनी बेसब्री? ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: ठीक है, सुनाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: बोलिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: आप तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: मुस्कराकर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री साहिब सिंह वर्मा: मुस्कराहट उधर से भी तो आनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: मैं मुस्कराहट में आप दोनों को नहीं आने दूंगा। आप जवाब दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: आपकी बार-बार डोमेस्टिक सर्वेंट्स के बारे में बड़ी चिंता है कि वे इसमें इनकलूड है कि नहीं हैं? मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हम उनके बारे में बहुत चिंतित हैं और कोई भी ऐसी कैटेगिरी जो उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में हैं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं करीब सभी को शामिल करेंगे। उसके बाद भी हमने उसमें प्रोविजन किया है कि बाद में जब कभी भी चाहेंगे और भी कोई नई कैटेगिरी आएगी वह भी इसमें ऐड होती चली जाएगी। किसी भी कैटेगिरी को जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में है, हम नहीं छोड़ेंगे।

MR. CHAIRMAN: Next question.

Rail link between India and asean countries

*146. SHRI SHAHID SIDDIQUI:†
SHRI RUMANDLA RAAMACHANDRAYYA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the progress in the proposed rail link between India, Myanmar, Thailand and Vietnam; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shahid Siddiqui.